प्रेषक,

रमेश कुमार यादव
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय कक्ष संख्या–1, कानपुर देहात।

सेवा में,

श्रीमान् महरानीदीन
माननीय उप–निबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
कानपुर देहात।

विषयः पत्रांक संख्या–1745j / IV–2910 / एडमिन–ए, दिनांकित,इलाहाबाद 21–11–2012 के सन्दर्भ में:–

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में ससम्मान विनम्र निवेदन है कि जनपद न्यायालय कानपुर देहात के पत्रांक संख्या 1190 / XV दिनांकित 20–10–12 में मैंने ग्राम अन्जना, पोस्ट सैदाबाद, तहसील हडिया, जिला इलाहाबाद में श्री संजीव कुमार, श्री लवकुश कुमार एवं श्री सुरेश कुमार की संयुक्त भूमिधरी आराजी संख्या–489 रकवा 0.1320 हेक्टेयर क्रय करने हेतु अनुमति से अभिप्रेत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सम्प्रेषित किया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त विक्रेतागण ने मेरे पक्ष में उक्त भूमि विक्रय करने से इंकार कर दिया है, जिसके कारण उक्त भूमि के क्रय करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के अनुमति की आवश्यकता शेष नहीं रह गयी है। अतः संदर्भित विषय के प्रकाश में माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर लेटर नम्बर 25 / एडमिन ए दिनांक 13–07–1998 में यथावर्णित बिन्दु संख्या–01 ता 11 से संबंधित विवरण का सम्प्रेषण समीचीन नहीं रह गया है।

अतः जनपद न्यायालय कानपुर देहात के पत्रांक संख्या 1190 / XV दिनांकित 20–10–2012 के आधार पर उपरोक्त भूमि क्रय करने संबंधी प्रत्यावेदन पर बल न देते हुए उपरोक्तानुसार आख्या श्रीमान जी की सेवा में उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

आदर सहित।

भवदीय
(हस्ताक्षर) 11.12.12

दिनांक 11.12.12

(रमेश कुमार यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय कक्ष संख्या–1,कानपुर देहात।

Office of District Judge Ramabai Nagar, Judgeship
No. 1342/XV ...dated 12-12-2012.
Forwarded to Sri Maharani Deen, Dy. Registrar, Hon'ble High Court, Allahabad.
for necessary action.

District Judge
Ramabai Nagar.

D.R.(M)
The officer has 'Not pressed' his application for grant of permission to purchase the property now. Thus no action is called for.
May file?
16.01.13

Request-98

IV 2910

From,

Maharani Din,
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Request-98

To,

The District Judge,
Ramabai Nagar (Kanpur Dehat).

169

No. 17451 / IV- 2910/ Admin (A) / Dated 21-11-2012

Subject:- Grant of permission to Sri Ramesh Kumar Yadav, Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar to purchase land, situated at Village Anjana, Post- Saidabad, Tehsil- Handia, District- Allahabad.

Sir,

With reference to your endt. no. 1190/ XV dated 20.10.2012 on the above subject, I have to say that Sri Ramesh Kumar Yadav, Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar may kindly be asked to apply for grant of permission to purchase the land giving complete and pointwise (from point 1 to 11) details about the proposed transaction in the light of directions contained in Court's C.L. no. 25/ Admin (A) dated 13.07.1998 along with all the supporting papers, as asked for therein the Court's Circular letter, referred to above, so that further necessary action may be taken in the matter.

D.R.(A) lay issue? 19.11.12 19.11.12 19.11.12 AR

Yours faithfully

Maharani Din 20.11.12

Deputy Registrar

170

No. 17452/IV- 2910/ Admin(A)/ Dated 21-11-2012

Copy forwarded for information & necessary action to Sri Ramesh Kumar Yadav, Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat).

Maharani Din 20.11.12

Deputy Registrar

प्रेषक,

रमेश कुमार यादव,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या–1, कानपुर देहात।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
कानपुर देहात।

विषय आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति के संदर्भ में:–

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मेरे पैत्रृक ग्राम अन्जना, पोस्ट–सैदावाद, तहसील–हड़िया जिला–इलाहाबाद में श्री संजीव कुमार, श्री लवकुश कुमार, एवं श्री सुरेश कुमार पुत्रगण स्व. नरोत्तम प्रसाद मिश्रा की संयुक्त भूमिधरी आराजी संख्या 489 रकवा 0.1320 हेक्टेयर विक्रय हेतु उपलब्ध है। जिसे मैं आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय करना चाहता हूँ। जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पूर्वानुमति अभीष्ट है।

उल्लेखनीय है कि उक्त आराजी का सर्किल रेट के अनुसार प्रचलित दर तीन लाख रूपया है। विक्रेतागण का कोई वाद मेरे न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही पूर्व में उनका कोई वाद मेरे द्वारा निस्तारित किया गया है। क्रय विक्रय के संव्यवहार के उपरान्त समस्त सुसंगत अभिलेखों के साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को नियमानुसार संसूचित किया जायेगा।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त आराजी को क्रय करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने संबंधी मेरा प्रस्तुत प्रत्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचारार्थ रखने की कृपा करे।

सादर ।

भवदीय, [signature] 20.10.12

दिनांक 20.10.12

(रमेश कुमार यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या–1, कानपुर देहात।

Office of District Judge Ramabai Nagar, Judgeship
No. 1190/XV dated 20-10-12
Forwarded to The Registrar General, Hon'ble High Court, Allahabad.
for necessary action.

District Judge
Ramabai Nagar.
20-10-12.

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.06 10:18:31 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad